SAVE ELECTRICITY



RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

SOF CHINI ENDING ENGINEER (OXIVI)

(University of Technology of Madhya Pradesh) Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal – 462033

Ph.: 2678835, Fax: 0755-2742002, Website: www.rgpv.ac.in F-3/Admin/RGPV/2023/ 2552 Bhopal, Date: 08.05.2023

ONLINE APPLICATIONS FOR GUEST FACULTY

Online Applications are invited from eligible candidates as per AICTE qualifications for Guest Faculty at SoAM (for MBA), SoA (for B.Arch) & SoIT, RGPV, Bhopal till 15 May, 2023. Please visit www.rgpv.ac.in for further details and online application form.

M.P. Madhyam/109774/2023

REGISTRAR



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara



Advertisement

Requirement of Guest faculty for School of Information Technology, RGPV, Bhopal

Applications are invited from eligible candidates as per AICTE qualifications for the post of Assistant Professor (Guest Faculty) for B.Tech (Computer Science & Business Systems, CSE (AI & ML), CSE (Data Science) /M.Tech (Data Science) Courses in School of Information Technology (University Teaching Department), RGPV Bhopal for the following discipline /subject areas.

Subject Area	
CSE/IT	
Humanities	
Mathematics	
Management	
Electronics and communication Engineering	

These posts are fully temporary in nature and selected candidates shall be paid a consolidated salary of **Rs. 30000/- per month (maximum).** Teaching experience from Government/Autonomous Engineering Degree/Diploma institutions will only be considered. The rules & regulations for recruitment/selection process is governed by as per Govt. of MP, Directorate of Technical Education order no. F1-6/2020/42-1, dated 27/01/2022. Please refer to aforesaid order for more information.

Application form has to be submitted only through the following Google form link:

https://docs.google.com/forms/d/18bHQ35Ks69fsS4cn9ix6-XZ7XF2LaECEkHA3B5QhONk/edit?pli=1

The last date to submit the application form is 15th May 2023.

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27/01/22

क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक-15 दिनांक 18 जनवरी, 2022 के अनुसार विभाग के अधीनस्थ स्वशासी इंजीनियरिंग स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक् महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक /सहायक प्रध्यापक/विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) के भुगतान पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी करता है:-

- 2. इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक् महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक/ विभागाध्यक्ष/व्याख्याता के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के आधार पर आमंत्रित होकर अतिथि व्याख्याता के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार होगें:-
 - 2.1 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेकनिक् महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक/ विभागाध्यक्ष/ व्याख्याता के रिक्त पदों के आधार पर की जायेगी।
 - 2.2 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या के आधार पर अभातिशप के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जायेगी।
 - 2.3 संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभातशिप के मापदंड अनुसार रहेगी।
 - 2.4 अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति में नियमित महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत 'लोक सेवक' नहीं माने जायेंगे।
 - 2.5 अतिथि व्याख्याताओं को महाविद्यालय में प्रति दिवस न्यूनतम 5 घन्टे तथा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 40 घन्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रति दिवस औसत 7 घन्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घन्टे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षायें, प्रायोगिक कार्य, प्रवेश, परीक्षा कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा

गतिविधियाँ, युवा-उत्सव आदि का भी कार्य संपादित करेंगे। शासन/महाविद्यालय की आवश्यकता अनुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।

- 3. अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण की प्रक्रिया:-
 - 3.1 अतिथि व्याख्याता का आमंत्रण पत्र शैक्षणिक सत्र के अधिकतम 11 माह के लिए प्राचार्य द्वारा शासी निकाय/जनभागीदारी समिति के सचिव की हैसियत से जारी किया जायेगा।
 - 3.2 अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों/संस्थाओं में कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व अभ्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
 - 3.3 आमंत्रित आवेदक को महाविद्यालय में निर्धारित अविध में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अतिथि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमित दी जावेगी।
 - 3.4 अतिथि व्याख्याता के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए अतिथि व्याख्याता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/ अशासकीय सेवा में नहीं है।
 - 3.5 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्यातों का आमंत्रण समाप्त समझा जायेगा।
 - 3.6 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा संचालनालय एवं अभ्यर्थी को प्रेषित की जायेगी।
 - 3.7 अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - 3.8 अतिथि व्याख्याता द्वारा संपूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा के अर्जित अंकों एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

<u>W</u>

- 3.9 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि व्याख्याता के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखँगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।
- 3.10 प्रसृति के कारण अवकाश पर रहने वाली महिला अतिथि व्याख्याता को प्राचार्य द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा प्रसृति अवकाश के दौरान उस महिला अतिथि व्याख्याता के स्थान पर कोई अन्य अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। अवैतनिक अवकाश स्वीकृति के समय इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। अवैतनिक प्रसृति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला अतिथि व्याख्याता द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना कार्य पूर्ण किया जाएगा।

4. मानदेय का निर्धारण:-

- 4.1 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थिति होने पर रूपये 30,000/- का भुगतान किया जायेगा।
- 4.2 अतिथि व्याख्याता की महाविद्यालय में माह के सम्पूर्ण कार्य दिवस उपस्थित नहीं होने पर-

	30000 X संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के	
कुल मानदेय =	दिवसों की संख्या	
	माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या	

5. चयन प्रक्रिया:-

- 5.1 संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रतिवर्ष समस्त इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयाँ के लिये एकीकृत चयन प्रक्रिया का संचालन पोर्टल के माध्यम से सुनिचित किया जायेगा।
- 5.2 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे आवेदक जो अभातशिप के प्रचलित विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक अर्हता रखेंगे वे विज्ञापित पद के विरूद्ध आवेदन कर सकेंगे।
- 5.3 आमंत्रण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमिलियर छोडकर) को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार पद के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार दिव्याग अभ्यार्थियों को भी अधिभार दिया जायेगा।



5.4 इंजीनियरिंग/पॉलीटेकनिक् महाविद्यालयों में पूर्व से कार्यरत् अतिथि व्याख्याताओं को अधिकतम पाँच वर्षों का 20 अंकों का अधिभार अनुभव के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यके वर्ष हेतु अधिकतम अधिभार 4 अकों का होगा।

काल खण्डों की संख्या (एक शैक्षणिक सत्र में)	अधिभार
151 या अधिक कालखण्ड	4 अंक
101 से 150 कालखण्ड	3 अंक
51 से 100 कालखण्ड	2 अंक
50 या इससे कम कालखण्ड	1 अंक

उक्त आशय का प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.5 इस व्यवस्था के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में मेरिट सूचीयाँ तैयार की जायेगी। अन्तिम मेरिट सूची अतिथि व्याख्याता द्वारा न्यूनतम अर्हता उपाधि के दर्ज एवं सत्यापित प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों को जोडते हुये बनाई जायेगी:-

, श्रेणी-1:- संबंधित विषय में पीएचडी एवं गेट/नेट/स्लेट

श्रेणी-2:- संबंधित विषय में पीएचडी या गेट/नेट/स्लेट

श्रेणी-3:- संबंधित विषय में स्नातकोत्तर

श्रेणी-4:- संबंधित विषय में स्नातक (संबंधित विषय के लिये स्नातक न्यूनतम अर्हता का प्रावधान होने की स्थिति में)

5.6 मेरिट अंकों की गणना:- संबंधित विषय के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जायेगा तथा अधिभार जोड़ा जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी आवेदन के न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है, अनुसूचित जाति का है, दिव्यांग भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगे:-

न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा - 25 अंक अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये अधिभार - 7.5 अंक

दिव्यांग के लिये अधिभार - 7.5 अंक

5.7 श्रेणी के क्रमानुसार ही अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जायेगा। अर्थात श्रेणी-1 के अतिथि व्याख्याताओं को उच्चतम वरीयता दी जायेगी। उसके पश्चात क्रमशः श्रेणी-2, 3 एवं 4 को वरीयता दी जायेगी। श्रेणी समान



होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जायेगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि व्याख्याता को वरीयता दी जायेगी। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ-1-6/2020/42-1, प्रतिलिपि :- भोपाल, दिनांक *27) 01*)22

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 स्टॉफ आफिसर, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 4 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 5 निज सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
- 6 आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनलाय, भोपाल।
- 7 कुल सचिव, रा.गा.प्रो.वि. भोपाल।
- २ 8 संबंधित कोषालय अधिकारी.....।

9 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग